

पत्रांक:- 14/ए0एफ0-13/2021..

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक...../...../2021

विषय:- एगजाल्ट कॉलेज, कन्हौली, महुआ रोड, हाजीपुर, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2021-24 एवं 2022-25 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/857 दिनांक 26.05.2021, पत्रांक- B/919 दिनांक 08.06.2021 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या-1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने एगजाल्ट कॉलेज, कन्हौली, महुआ रोड, हाजीपुर, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के निम्न विषयों में सत्र 2021-24 एवं 2022-25 के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय के लिए निर्दिष्ट परिमाण की भूमि जिला निबंधन कार्यालय से चिन्हीकरण/निबंधन कराने एवं भविष्य में इस भूमि पर स्नातक डिग्री महाविद्यालय के अलावे कोई अन्य संस्था नहीं खोलने के शर्त के साथ अस्थायी संबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	संकाय	विषय
01	कला संकाय: (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, इतिहास, परसियन, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, लोक प्रशासन, एल0एस0डबल्लु, संगीत एवं गणित। (कुल 18 विषय)।
02	विज्ञान संकाय: (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिकी, रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र एवं गणित (कुल 05 विषयों में)।
03	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्ट्स, बिजनेस फाइनांस बिजनेस इनवॉरमेन्ट एवं कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 04 विषय)

निदेश दिया जाता है कि भविष्य में अगर महाविद्यालय परिनियमानुसार संबंधन के सभी मानकों/शर्तों को पूरा करता है तो परिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी संबंधन से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय।

आगामी अनुशंसा के पूर्व इस संबंध में मापदंड पूर्ण करने का निदेश संस्था को दें। साथ ही, परिनियम में अंकित शर्तों/मानकों के पूरा नहीं किये जाने एवं अस्थायी संबंधन के अनुशंसा की स्थिति में इसके औचित्य पर प्रकाश डालें।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-


(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 14/ए0एफ0-13/2021-1/508

पटना, दिनांक 23/09/2021

प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा एवं सचिव, एगजाल्ट कॉलेज, कन्हौली, महुआ रोड, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।


सरकार के उप सचिव